कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 359/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 07.10.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 07.10.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस- नोट, दिनांक 07.10.2025

थाना-बरदह, जनपद-आजमगढ़

हत्या का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे का राड/ रम्मा बरामद किया गया।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.10.25 को वादी अंकित विन्द पुत्र महेन्दर विन्द ग्राम खम्हौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर हमारे गाँव के रहने वाले लालू बिन्द पुत्र रामबचन बिन्द द्वारा हमारे पिता महेन्दर बिन्द पुत्र दुखन्ती को मुक्तीपुर बाजार मे दिनाँक 05/10/2025 को समय 21.15 बजे हत्या करने के नियत से यह कहते हुए कि आज इसे मारकर खत्म कर दूँगा, लोहे के राड से कई बार प्रहार किया जिससे उनका सिर फट गया तथा सीने वा चेहरे मे काफी चोटे आयी। चिल्लाने पर जब आस-पास के लोग आ गये तो वह पिता जी को मरा समझ कर गाली देते हुए भाग गया उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 299/25 धारा 109/352/351(3) बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 115(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 07.10.25 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त लालू बिन्द पुत्र रामबचन बिन्द ग्राम खम्हौली थाना बरदह, आजमगढ़ को लसड़ाकला नहर पुलिया से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. लालू बिन्द पुत्र रामबचन बिन्द ग्राम खम्हौली थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरणः-

01. घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे का राड/ रम्मा

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 213/18 धारा 308/323 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 231/19 धारा 147/308/323/325/504/506 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 260/24 धारा 115(2), 351(2), 352 बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 281/25 धारा 60(1) आबकारी अधि थाना बरदह, आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 299/25 धारा 109/352/351(3)/115(2) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव थाना बरदह, आजमगढ़
2. हे0का0 सन्तोष कुमार थाना बरदह, आजमगढ़

02. थाना मुबारकपुरः हत्या के प्रयाम में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 06.10.2025 को वादी मुकदमा सोनू मद्धेशिया पुत्र स्व0 मोतीलाल मद्धेशिया निवासी गुलउर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा सूचना दी गयी कि वादी के सगे भाई विनोद मद्धेशिया व संतोष मद्धेशिया मिलकर मकान के बटवारे की बात को लेकर ईट से सिर मे मार दिये है जिससे वादी मौके पर ही बेहोश हो गये जिसके आधार पर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ पर मु0अ0सं0 439/2025 धारा 109(1)/352/351(3)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना उ0नि0 धर्मराज यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 07.10.2025 को उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह पुलिस बल के वांछित अभियुक्तगण की तलाश हेतु क्षेत्र मे मामुर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्तगण भाई विनोद मद्धेशिया व संतोष मद्धेशिया पुत्रगण स्व0 मोतीलाल मद्धेशिया निवासी ग्राम गुलउर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को गुलउर शिवमन्दिर के पास से एकबारगी घेर कर समय करीब 11.08 बजे पकड़ लिया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त आला जुर्म ईंट बरामद की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- विनोद मद्धेशिया व संतोष मद्धेशिया पुत्रगण स्व0 मोतीलाल मद्धेशिया निवासी ग्राम गुलउर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 439/2025 धारा 109(1)/352/351(3)/3(5) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह का0 सोनू यादव, हो0गा0 संजय कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

03. थाना मुबारकपुरः बकरी चोरी करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 06/10/2025 को वादिनी मुकदमा सुमिन्ता चौहान पत्नी छेदीलाल चौहान निवासिनी आदमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 29.09.2025 को दिन मे लगभग 03.35 बजे आदमपुर मे ही बकरी चरा रही थी। थोड़ी देर के लिया घर पर पानी पीने गयी वापस आकर देखा तो बकरी गायब थी आस पास खोजा तो देखा कि एक औरत बकरी को स्कूटी से लेकर जा रही थी। उक्त सूचना के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 438/2025 धारा 303(3) भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 कमला प्रसाद यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 07.10.2025 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशि मौलि पाण्डेय के निर्देशन मे उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह पुलिस बल के चोरी की घटना के अनावरण हेतु क्षेत्र मे मामुर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर दरियाबाद पुल के पास से मु0अ0सं0 438/2025 303(3) से सम्बन्धित प्रकाश मे आये वांछित अभियुक्ता आफरीन शबनम पत्नी सैयद तनवीर आलम निवासिनी अमिलो खास थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को समय करीब 11.37 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। चोरी की घटना मे शामिल दो बाल अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया। अभियुक्त आफरीन शबनम की निशादेही पर चोरी की बकरी 01 राशि की बरामदगी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलतित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1-आफरीन शबनम पत्नी सैयद तनवीर आलम निवासिनी अमिलो खास थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र 37 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1-एक राशि बकरी

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह हे0का0 जयराम तिवारी , म0का0 शिवानी शुक्ला थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
हे0का0 उमेश यादव सर्विलांश टीम आजमगढ

04. थाना – अहरौला: अवैध असलहा व कारतूस के साथ शातिर चोर गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण

(A)… दिनाँक 16.04.2024 को वादी श्री दिनेश चौबे पुत्र विंध्याचल चौबे निवासी ग्राम चकरजई थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र दिया कि प्रार्थी व उसका पूरा परिवार मुम्बई में रहता हैं घर पर कोई नहीं रहता है। दिनाँक 02.04.2024 को सुबह करीब 6.00 बजे ढ़ाई साल बाद मुम्बई से अपने घर पर आया व मेन गेट का ताला खोलकर अपने घर में घुसा तो देखा कि अन्दर का सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हैं तथा घर के अन्दर से घर में लगा सारा बल्ब, होल्डर , पानी का मोटर , दो ऊपर वाला पंखा , 15 मोटर इलेक्ट्रिक केबल वायर तथा मेरी माता जी का बक्सा तोड़कर उसमें रखा एक सोने का चैन व एक जोड़ी चाँदी का पायल तथा जमीन से जुड़े तथा अन्य सभी जरूरी कागजात तथा बैंक पेपर और बैंक लाकर की चाभी , मोटर साइकिल की चाभी व पेपर चोर आंगन के रास्ते से घर के अन्दर घुसकर अज्ञात चोर चुरा ले गये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 156/24 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त जयहिन्द पुत्र रामप्रीत निवासी बहराकोठी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को दिनाँक 09.02.2025 गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त शनि पुत्र वीरेन्द्र निवासी पियरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया।

(B)… दिनाँक 04.12.2024 को वादी श्री सैयद अब्बास रज़ा पुत्र सैयद मोहम्मद फसीह निवासी टाऊन ऐरिया माहुल थाना अहरौला ज़नपद आज़मगढ़ द्वारा ई-एफआईआर पर प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया कि 03/4.12.2024 की रात मे लगभग 1 से 3 बजे के बीच अज्ञात चोरो द्वारा दीवार फान्द कर व कमरे का ताला तोड़ कर लगभग दो ढ़ाई लाख का सामान चोरी कर लिये है। उक्त के आधार पर थाना स्थानीय पर आनलाइन मु0अ0सं0 528/2024 धारा 305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त जयहिन्द पुत्र रामप्रीत निवासी बहराकोठी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को दिनाँक 09.02.2025 गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त शनि पुत्र वीरेन्द्र निवासी पियरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया।

(C)… दिनाँक 22.01.2025 को वादी श्री माता प्रसाद पाण्डेय पुत्र स्व0 हरीराम ग्राम हांसापुर खुर्द थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके बाईपास पर गिमटी की दुकान में दिनांक 20/21.1.2025 की रात मे अज्ञात चोरों द्वारा गिमटी के खिड़की तोड़कर उसमे रखा टाफी, विस्कुट, कुरकुरे पुकार को चुरा करके गिमटी को धकेल देने के सम्बन्ध में दाखिल किये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 26/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस बनाम- अज्ञात पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त जयहिन्द पुत्र रामप्रीत निवासी बहराकोठी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को दिनाँक 09.02.2025 गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त शनि पुत्र वीरेन्द्र निवासी पियरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनाँक 06.10.2025 को उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान बहराकोठी पुलिया से चोरी के उपरोक्त अभियोगो में वांछित अभियुक्त सुशील उर्फ शनि राजभर पुत्र वीरेन्द्र राजभर निवासी पियरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर के साथ समय करीब 23.30 बजे रात्रि में हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 362/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सुशील उर्फ शनि राजभर पुत्र वीरेन्द्र राजभर निवासी पियरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत है। अभियुक्त सुशील उर्फ शनि राजभर उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- सुशील उर्फ शनि राजभर पुत्र वीरेन्द्र राजभर निवासी पियरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 362/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास…

1. मु0अ0सं0 362/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 156/24 धारा 457/380 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 528/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 26/25 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह 2. उ0नि0 विश्राम गुप्ता 3. उ0नि0 रंजन कुमार साव 4. का0 बसंत कुमार 5. का0 उमेश कुमार गौड़ थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, जनपद आजमगढ़
दिनांक: 07.10.2025

➡ **साइबर जागरूकता अभियान के तहत अमर शहीद इन्टर कालेज ईश्वरपुर मे प्रचार - प्रसार कर साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया ।**

➡ I4C द्वारा नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस माह (NCSAM) के अंतर्गत साइबर अपराध से बचाव हेतु जनजागरूकता कार्यशाला का आयोजन-

➡ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय द्वारा प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम व आमजनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूल, कॉलेज एवं पुस्तकालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए-

👉इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी के कुशल मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.10.2025 को अमर शहीद इन्टर कालेज ईश्वरपुर में साइबर जागरूकता अभियान के तहत साइबर अपराधो जैसे डिजीटल अरेस्ट मे फर्जी पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, साइबर पुलिस अधिकारी बनकर पैसे की मांग करना , मोबाइल फोन मे फर्जी एप्प डाउनलोड कराकर या लिंक पर क्लिक कराकर ठगी करना , गिफ्ट / लाटरी के नाम पर स्कैम, सोशल मीडिया (इस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, स्नैपचैट आदि) पर अन्जान व्यक्तियो / महिलाओ से दोस्ती करना, म्यूल अकाउट, फर्जी मोबाइल नम्बर आदि के बारे मे विस्तृत जानकारी देते हुए थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा लाउडहेलर चलाकर तथा पम्पलेट वितरण कर प्रचार – प्रसार करते हुए विद्यालय के अध्यापको व छात्र - छात्राओं को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया गया।

➡ कार्यशाला के दौरान भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 एवं www.cybercrime.gov.in पोर्टल के उपयोग के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

➡ साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत उक्त नंबर या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर अपराध को रोका जा सकता है।

प्रमुख बिंदु जिन पर जानकारी दी गई-

❖ बैंकिंग फ्रॉड, क्यूआर कोड स्कैन कर ठगी

❖ व्हाट्सएप हैकिंग, OLX व KYC आधारित ठगी

❖ फर्जी ऐप्स, ऑनलाइन लोन स्कैम, हनी ट्रैपिंग

❖ ATM व इंटरनेट मीडिया से जुड़ी ठगी

❖ निवेश / गेमिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी व अन्य कंप्यूटर से संबंधित धोखाधड़ी

❖ सेक्सटॉर्शन व न्यूड कॉल ब्लैकमेलिंग

सेक्सटॉर्शन जैसे मामलों में विशेष सावधानी की सलाह-

➡ साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर सोशल मीडिया (विशेषतः फेसबुक) पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। बाद में व्हाट्सएप नंबर लेकर वीडियो कॉल के माध्यम से अश्लील वीडियो दिखाया जाता है और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ब्लैकमेल कर धन की मांग की जाती है।

➡ जनसामान्य को सलाह दी गई कि –

❖ किसी भी अजनबी की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।

❖ अनजान नंबर से आने वाली वीडियो कॉल न उठाएं।

❖ यदि कॉल उठानी हो तो कैमरे पर अंगूठा या कवर रखें।

❖ किसी भी प्रकार की ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी:

- म0नि0 श्रीमती विभा पाण्डेय थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- उ0नि0 कलाप कलाधर त्रिपाठी थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- का0 महिपाल यादव थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- म0का0 संज्ञा देवी थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक 07.10.2025

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

➡ माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन सुनिश्चित करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से **मिशन शक्ति विशेष अभियान** प्रारंभ किया गया है।

➡ **मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0** का शुभारम्भ **दिनांक 20 सितम्बर 2025** को **शारदीय नवरात्रि** के पावन अवसर पर किया गया।

➡इसी क्रम में **दिनांक 07 अक्टूबर 2025** को जनपद **आजमगढ़** में श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी महोदय, श्रीमान् पुलिस उप-महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण / नोडल अधिकारी मिशन शक्ति **श्री चिराग जैन** तथा पर्यवेक्षण अधिकारी **श्रीमती आस्था जायसवाल, क्षेत्राधिकारी सदर** के नेतृत्व में विविध जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

मुख्य गतिविधियाँ:

01.महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा चौपाल कार्यक्रम:

➡ जनपद के विभिन्न **मन्दिरों**, **सार्वजनिक स्थानों**, एवं **पंचायत भवनों** में महिला बीट पुलिस अधिकारियों ने चौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को **सरकारी योजनाओं**, **हेल्पलाइन नम्बरों** (1090, 112, 181, 1930 आदि) की जानकारी दी।

➡ **फुट पेट्रोलिंग** के दौरान रूक-रूककर स्थानीय महिलाओं से संवाद कर उन्हें आत्मरक्षा के प्रति सजग किया गया।

02.एण्टी रोमियो टीम द्वारा सघन चेकिंग:

➡ जनपद के चिन्हित **हॉट-स्पॉट स्थलों** पर सभी **एण्टी रोमियो टीमों** द्वारा सतर्क निगरानी रखते हुए सघन चेकिंग की गई, जिससे महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास का संचार हुआ।

➡ यह अभियान महिलाओं में **सुरक्षा के प्रति जागरूकता**, **कानूनी जानकारी** और **सरकारी संसाधनों** के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रेस नोट
जनपद – आज़मगढ़ पुलिस

दिनांक: 07/10/ 2025

➡ महामहिम राज्यपाल महोदया ने महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वितीय दीक्षांत समारोह का किया शुभारम्भ

➡ आज पुलिस लाइन आज़मगढ़ में “वामा सारथी” आज़मगढ़ द्वारा पुलिस कर्मियों की 09 से 14 वर्ष की कुल 14 बच्चियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) का वैक्सिनेशन निःशुल्क कराया गया। यह टीकाकरण कार्यक्रम बालिकाओं को गंभीर रोगों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

➡ महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में कार्यक्रम के दौरान माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा उपस्थित पुलिस कर्मियों के 14 बच्चियों (वैक्सिनेट किया गया था) को प्रमाणपत्र (Certificate) एवं फल टोकरी (Fruit Basket) वितरित की गई।

➡ संबंधित सभी बच्चियों को वैक्सीन की द्वितीय डोज भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

➡ यह पहल “वामा सारथी” आज़मगढ़ एवं आज़मगढ़ पुलिस द्वारा महिला एवं बालिका स्वास्थ्य के प्रति सराहनीय कदम है।

➡ कार्यक्रम में डीआईजी श्री सुनील कुमार सिंह, जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार व अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।
प्रेस नोट
जनपद – आज़मगढ़ पुलिस
दिनांक: 07.10.2025

साइबर जागरूकता अभियान के तहत आज दिनांक 07.10.2025 को जनपद आज़मगढ़ पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लाइव लेक्चर सीरीज़ का शुभारंभ किया गया।

➡ इस लेक्चर सीरीज़ का उद्देश्य आमजन को विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों — जैसे ओटीपी फ्रॉड, यूपीआई धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट आदि से बचाव के उपायों की जानकारी देना है। कार्यक्रम के दौरान साइबर हेल्पलाइन संबंधी जानकारी भी साझा की गई तथा लाइव सेशन में प्राप्त सभी शिकायतों एवं प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए गए।

➡ इस क्रम में प्रथम सत्र अपर पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़ श्री चिराग जैन द्वारा लिया गया। आगे आने वाले सत्रों में अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं साइबर विशेषज्ञ भी सहभागिता करेंगे।

➡ जनपदवासियों से अनुरोध है कि वे आगामी लाइव लेक्चर सीरीज़ में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें तथा साइबर अपराधों से बचाव हेतु स्वयं एवं अपने परिजनों को जागरूक करें।

प्रेस नोट, दिनांक- 07.10.2025, जनपद आमजगढ़

आजमगढ़ पुलिस ने गुमशुदा व्यक्ति को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया सुपुर्द।

➡️दिनांक 05.10.2025 को समय लगभग 10:00 बजे रवि अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय बसंत अग्रवाल, निवासी मोहल्ला सदावर्ती, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, अपने घर से दुकान खोलने हेतु निकले थे, किंतु उसके पश्चात घर वापस नहीं लौटे। परिजनों द्वारा आस-पड़ोस, मित्रों एवं रिश्तेदारों के बीच तलाश की गई, परंतु कोई पता नहीं चल सका।

➡️घटना की सूचना परिजनों द्वारा तत्काल थाना कोतवाली पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

➡️आज दिनांक 07.10.2025 को पुलिस के अथक प्रयासों से गुमशुदा व्यक्ति रवि अग्रवाल उपरोक्त को कानपुर से सकुशल बरामद किया गया। तत्पश्चात विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उन्हें उनके परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया।

➡️परिजनों द्वारा अपने प्रियजन की सकुशल बरामदगी पर आजमगढ़ पुलिस का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया।